न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 238/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खीयाराम पुत्र रामुराम 2– कंवरराम पुत्र रामुराम समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम देवातडा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1– भगवाननाथ पुत्र श्यामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम देवातडा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत देवातडा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–3–2017 जो उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व अपील संख्या 6/2016 अनवान भगवाननाथ बनाम सरपंच वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

दिनांक 6–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवातडा तहसील बिलाडा हाल भोपालगढ के खसरा नंबर 707 की 6 बीघा 19 बिस्वा सिवाय चक भूमि पर संवत 2024 से रामू पुत्र देवा भांबी सा0 देह का कब्जा होने से उक्त भूमि का नियमन आदेश की पालना मे म्युटेशन संख्या 208 उसके पक्ष मे सरपंच ग्राम पंचायत देवातडा द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 208 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 सख्या 1 भगवाननाथ पुत्र श्यामनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2016 मे म्युटेशन अपील प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–3–2017 के द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत देवातडा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 208 दिनांक 15–7–74 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सभी तथ्यो पर विधिक प्रावधानो के अनुरूप विचार कर नियमानुसार मेरिट पर पुनः निर्णय पारित करे। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देवातरा के खसरा नंबर 707 की भूमि रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा पर हमारे पिता रामूराम पुत्र देवा का लगातार कब्जा होने से उक्त भूमि का नियमन आदेश पारित हुए तथा उक्त नियमन आदेश की पालना मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 208 दिनांक 15–7–1974 मे स्वीकृत हुआ था, तब से अपीलाधीन भूमि पर हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा था, तथा हम स्व0 खातेदार रामूराम के वारिस है । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे

वर्ष 2016 मे लगभग 42 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रावधानो का गौर किये अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 208 जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नियमन आदेश की पालना मे भरा जाकर स्वीकृत किया गया था तथा नियमन आदेश को आज तक कही चुनौती नही दी जाने पर भी नियमन आदेश के अस्तित्व मे रहते अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त करने बाबत पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण का निर्बाध रूप से कब्जा होने से उक्त भूमि का नियमन हुआ तथा अपीलांटगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार हासिल हुए । ऐसे मे किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये समाप्त नही किये जा सकते थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि नियमन आदेश की पालना मे भरा जाकर स्वीकृत हुआ था तो रेस्पो0 संख्या 1 यदि अपीलांट के पिता रामूराम के पक्ष मे हुए नियमन को गलत होना मानते है तो उक्त नियमन आदेश को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिये थी परंतु ऐसा नही कर म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना अपीलाधीन म्युटेशन जो नियमन आदेश की पालना मे स्वीकृत हुआ था, उसे निरस्त करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने से निरस्त योग्य है।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि जब अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 208 खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा इस आशय का नोट अंकित कर दिया था कि खसरा नंबर 707 की भूमि पर रामू पुत्र देवा भांबी का कब्जा नही है, नियमन गलत हुआ है, गेर खातेदार का खसरा नंबर 707 पर कब्जा देखकर स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया था परंतु पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत कर दिया था जबकि उक्त खसरा नंबर 707 एवं708 की भूमि पर रेस्पो0 के पिता का कब्जा होने से उक्त दोनो खसरा नंबरान की भूमि का नियमन रेस्पो0 के पिता श्यामनाथ को किया गया था तथा नियमन के दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि जब म्युटेशन पर पटवारी हल्का की आपत्तिपूर्ण टिप्पणी आ चुकी थी तो उक्त म्युटेशन को तहसीलदार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन सरपंच से स्वीकृत करवा लिया,

जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित किया गया निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 208 का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 208 जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नियमन आदेश की पालना मे भरा जाकर स्वीकृत हुआ है तथा उक्त खातेदारी की भूमि अपीलांटगण खीयाराम व कंवराराम पि0 रामूराम के नाम दर्ज चली आ रही है ।

रेस्पो0 संख्या 1 यदि उक्त खसरा नंबर 707 की भूमि के नियमन आदेश को गलत होना मानते है तो उक्त नियमन आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त करवाना चाहिये परंतु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 208 यथावत रखा जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर